पत्र संख्या–14/निजी–1301/2025–　　　　/सा0प्र0

बिहार सरकार

सामान्य प्रशासन विभाग

प्रेषक,

राजीव रंजन दास,
सरकार के उप सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार (ले0 एवं ह0),
बिहार, पटना।
प्रभारी पदाधिकारी,
वित्त (वै0दा0नि0को0) विभाग,
बिहार, पटना।

पटना–15,दिनांक–　　　/02/2026

विषयः–　　श्री बिमल कुमार सिंह, बि0प्र0से0, को0 क्र0–188/24 के प्रभार रहित अवधि के विनियमन के सम्बन्ध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में कहना है कि सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना की अधिसूचना संख्या–24011, दिनांक–26.12.2025 द्वारा श्री बिमल कुमार सिंह, बि0प्र0से0, को0 क्र0–188/24 की सेवा माननीय मंत्री, श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव (सरकारी) के रूप में नियुक्ति हेतु उनकी सेवा अगले आदेश तक अथवा माननीय मंत्री, श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग, बिहार, पटना द्वारा सेवा वापस किये जाने तक मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार, पटना को सौंपी गयी, जिसके आलोक में श्री सिंह, बि0प्र0से0 दिनांक–08.01.2026 के पूर्वाह्न में अपर समाहर्त्ता, विशेष कार्यक्रम, भोजपुर, आरा का प्रभार त्याग किया गया एवं दिनांक–08.01.2026 को मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार, पटना में योगदान समर्पित किया गया।

2. मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार, पटना की अधिसूचना संख्या–93, दिनांक–12.01.2026 द्वारा दिनांक–26.12.2025 के प्रभाव से श्री सिंह को माननीय मंत्री, श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण तथा युवा, रोजगार एवं कौशल विकास विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव (सरकारी) के पद पर नियुक्त किया गया। मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार, पटना की अधिसूचना संख्या–93, दिनांक–12.01.2026 के आलोक में श्री सिंह द्वारा दिनांक–12.01.2026 के अपराह्न में अधिसूचित पद का स्वतः प्रभार ग्रहण किया गया।

3. इस प्रकार श्री बिमल कुमार सिंह, बि0प्र0से0 दिनांक–08.01.2026 से दिनांक–12.01.2026 तक प्रभार रहित अवधि में रहे।

4. अतः श्री बिमल कुमार सिंह, बि0प्र0से0, को0क्र0–188/24, तत्कालीन अपर समाहर्त्ता, विशेष कार्यक्रम, भोजपुर, आरा, सम्प्रति आप्त सचिव (सरकारी), माननीय मंत्री, श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण तथा युवा, रोजगार एवं कौशल विकास विभाग, बिहार, पटना की प्रभार रहित अवधि दिनांक–08.01.2026 से दिनांक–12.01.2026 तक की प्रभार रहित अवधि को मौलिक नियमावली के नियम 9 (6) (बी) (iv) जो बिहार सेवा संहिता के नियम–14 (बी) के सदृश है, के तहत पदस्थापन हेतु अनिवार्य प्रतीक्षा अवधि के रूप में विनियमित किया जाता है।

5. उक्त अवधि में श्री बिमल कुमार सिंह, बि0प्र0से0 को कोटि वेतन देय होगा।

6. प्रस्ताव में विभागीय आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

विश्वासभाजन,

ह0/–
(राजीव रंजन दास)
सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक–14/निजी–1301/2025–3826/सा0प्र0, पटना–15, दिनांक–24/02/2026

प्रतिलिपिः–सचिव, श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग, बिहार, पटना/श्री बिमल कुमार सिंह, आप्त सचिव (सरकारी), माननीय मंत्री, श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण तथा युवा, रोजगार एवं कौशल विकास विभाग, बिहार, पटना/प्रबंधक, आई0टी0, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना (विभागीय वेब–साईट पर अपलोड करने हेतु) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

23/02/2026

सरकार के उप सचिव।